भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 55**

(जिसका उत्तर 22 नवम्‍बर, 2011/ 1 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाना है)

अल्‍पसंख्‍यकों को दिए जाने वाले ऋण के लक्ष्‍य की प्राप्ति

55**. श्री मोहम्‍मद अदीब:**

क्‍या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्‍या यह सच है कि सरकारी निर्देशों के बावजूद, बैंक अल्‍पसंख्‍यकों को दिए जाने वाले ऋण के 15 प्रतिशत के लक्ष्‍य को हासिल नहीं कर पाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्‍या हैं; और

(ग) उस कमी को पूरा करने और लक्ष्‍य को हासिल करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्‍यौरा क्‍या है?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)

**(क), (ख) और (ग):** 30 सितम्‍बर, 2011 की स्थिति के अनुसार अल्‍पसंख्‍यक समुदाय उधार के अन्‍तर्गत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा समग्र उपलब्धि कुल प्राथमिकताप्राप्‍त उधार का 14.50% थी।

ऋण में अल्‍पसंख्‍यक समुदायों के हिस्‍से में सतत् वृद्धि रही है और उनका हिस्‍सा 2008-09 में 11.42% से बढ़कर 2009-10 में 13.14% तथा 2010-11 में 14.16% हो गया और 30 सितम्‍बर, 2011 को यह और बढ़कर 14.50 प्रतिशत हो गया। सरकार द्वारा इसकी नियमित आधार पर समीक्षा की जाती है। सरकार ने बैंकों को 15% का लक्ष्‍य शीघ्र प्राप्‍त करने की सलाह दी है।

\*\*\*\*\*\*\*\*